लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स पुजा सिंह, प्रोपराईटरः पुजा सिंह, पिताः श्री राणा उदय प्रताप सिंह, पता–जयप्रकाश नगर, विशुनपुर नाला, धनबाद, झारखंड–826001 द्वारा औरंगाबाद जिलान्तर्गत सोन नदी बालू घाट–औरंगाबाद सोन–27A बालू घाट, मौजा–खजुरी फार्म, ब्लॉक–बारूण, जिला–औरंगाबाद, बिहार के अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 30.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय बारूण परिसर के सभाकक्ष में, बारूण, जिला–औरंगाबाद के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/3821/2026, dated 09.06.2026 के आलोक में श्री जय प्रकाश नारायण, (जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी) अपर समाहर्ता महोदय, औरंगाबाद (जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 30.09.2026 को अपराह्न 12:30 बजे प्रखण्ड कार्यालय परिसर के सभाकक्ष में, बारूण, जिला–औरंगाबाद में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण पटना से दिनांकः 04.08.2026, हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांकः 05.08.2026 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गयाजी द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। यह बालू खनन पट्टा औरंगाबाद जिला अन्तर्गत सोन नदी स्थित औरंगाबाद सोन–27A, मौजा–खजुरी फार्म, अंचल–बारूण, जिला–औरंगाबाद में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा पुजा सिंह, पिता–श्री राणा उदय प्रताप सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है, इस खनन पट्टा में कुल 24.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 4,32,000, घन मीटर बालू का खनन प्रस्तावित है, इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 7 करोड़ 85 लाख 80 हजार है।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, गयाजी द्वारा औरंगाबाद जिला अन्तर्गत औरंगाबाद सोन–27A, मौजा–खजुरी फार्म, अंचल–बारूण, जिला–औरंगाबाद के परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि श्री नीतिश कुमार को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के प्रतिनिधि श्री नीतिश कुमार के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता महोदय की अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री प्रवीण कुमार राय के द्वारा इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में कुल 240 वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय, भारत सरकार के Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 एवं Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	(1) श्री अजय सिंह, ग्राम–धमनी (पंचायत मुखिया) प्रखंड–बारूण, जिला–औरंगाबाद। (2) श्री कामेश्वर सिंह, पिता–श्री मानिकचंद सिंह, ग्राम–शेखपुरा, पो०–सदुरी करमा प्रखंड–बारूण, जिला–औरंगाबाद।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोकथाम करने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु नियमित रूप से सड़कों पर जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री अजय सिंह (मुखिया) धमनी पंचायत एवं श्री कामेश्वर सिंह को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।
2.	श्री अंजनी कुमार, पिता–सुरेन्द्र पण्डेय, ग्राम+पो०: झुमर डिहरा, प्रखंड–बारूण, जिला–औरंगाबाद।	इनके द्वारा ग्रामीणों के रोजगार के संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा आश्वासन दिया गया कि ग्रामीणों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इस प्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा श्री अंजनी कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन के उपरांत गीले बालू को Secondary Storage Facility में एकत्रित करने के पश्चात् ही बालू का उठाव एवं परिवहन का कार्य किया जाये। वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेंगे। बालू की खुदाई 3 मीटर गहराई तक ही करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों को ही प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मुहैया करायी जाये और DMF Fund की 2% राशि का उपयोग सामाजिक एवं जनहित कार्य में ही किया जाये।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट का खनन परियोजना को प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

30/09/26

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गयाजी

अपर समाहर्ता
(जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी)
औरंगाबाद

उपस्थिति सूची

मेसर्स पुजा सिंह, प्रोपराईटरः पुजा सिंह, पिता–श्री राणा उदय प्रताप सिंह, पता–जयप्रकाश नगर, विशुनपुर नाला, धनबाद, झारखंड–826001 द्वारा औरंगाबाद सोन नदी स्थित औरंगाबाद सोन–27A बालू घाट, मौजा–खजुरी फार्म, ब्लॉक–बारूण, जिला–औरंगाबाद राज्य–बिहार (बिहार) का औरंगाबाद जिला में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांकः 30.09.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में प्रखंड कार्यालय, बारूण, जिला–औरंगाबाद में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	जय प्रकाश नारायण	अपर समाहर्ता (भू0 शि) औरंगाबाद	30/09/26
2.	मनोरंजन कुमार सेठ	क्षेत्रीय पदाधिकारी बि प्र नि. पर्षद गया जी	30.9.26
3.	श्री नारायण राय	अंचलाधिकारी, बारूण	30/9/26
4.	कुमार अन्भूष	खान निरीक्षक औरंगाबाद	30/09/26
5.	Pravin Kumar Ram	Mining Inspector	
6.	राजु कुमार	खान निरीक्षक, औरंगाबाद	30/09/26
7.	अशोक कुमार पिता का नाम रामसुन्दर सिंह	ग्राम – गोमेखाप पोस्ट – झुमर डिहरा थाना – नवीनगर थाना सुदै	Ashok Kumar
8.	अंजनी कुमार पिता:- सुरेन्द्र पाण्डेय	ग्राम पो०- झुमर डिहरा थाना- बारूण जिला- औरंगाबाद (बिहार) पिन:- 824112	

9.	[illegible] पिता श्री [illegible]	ग्राम श्रीरूपुरा पोस्ट बड़ी बरमा जिला बालोतरा [illegible]	[illegible]
10.	[illegible] पिता - [illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]

20.	विजय चौधरी	पटना	विजय चौ
21.	रामेश्वर सिंह	श्री मेटपाथ	रामेश्वर सिं
22.	भंडारी सिंह	गौरी शिवगढ़	भंडारी सिंह
23.	विन्देश्वरी सिंह	श्री मेघनाथ	विन्देश्वरी सिंह
24.	नन्द किशोर कुमार	पटनासिटी	[illegible]
25.	रोमन सिंह	रामेश्वर पुर	रोमन सिंह
26.	सुंदर सिंह.	गोविंदगढ़	सुंदर सिंह
27.	देवान मुईयो	खपुरी	
28.	Nitish Kumar	Authorised, M/s Pooja Singh	Nitish Kumar
29.	अजय सिंह.	चमनी पंचायत कुरेमार	अजय सिंह.
30.	[illegible]	[illegible]	

Authorised